136 .2 चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को विश्व स्तरीय आकार देना–वैश्वीकरण के प्रयासों की मानीटरन

सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों की पहचान करेगी जिनके पास विश्व स्तरीय कंपरियां बनने के लिए अपेक्षाकृत अधुक सुविधाएं हैं और जो स्वयं 22 जुलाई, 1997 के समसंख्यक दो कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान की गई 9 कंपनियों को बोर्ड के पुनर्गठन के लिए और विभिन्न मामलों पर स्वायत्ता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

2. लोक उद्यमों के बोर्डों को स्वायत्ता प्रदान करने और उनके पुनर्गठन के उपाय करने के साथ यह आपश्यक है कि इन लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग गंभीरता के साथ की जाए। इस संबंध में सरकार यह महसूस करती है कि उद्यमों के निष्पादन की मॉनीटरन मुख्य तौर पर उनके अपने बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय निष्पादन की मॉनीटरिंग जारी रखेगा। निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, संबंधित लोक उद्यम के मुख्य कार्यपालक और एक बाहरी विशेषज्ञ द्वारा गठित दल द्वारा तिमाही आधार पर ही किया जाना चाहिए।

3. लेकिन शीर्ष स्तर पर सचिवों की समिति, जिसके प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होंगे, फोरम के रूप में गठित की गई है जिसमें अंतर–मंत्राययीन विचार–विमर्श किए जाएंगे और वैश्वीकरण के प्रयासों पर निरन्तर नजर रखी जाएगी। इस समिति में सदस्य सचिव, योजना के सचिव और सचिव, लोक उद्यम विभाग शामिल होंगे। लोक उद्यम विभाग के सचिव संयोजक होंगे।

4. लोक उद्यमों द्वारा विशिष्ट भावी योजनाओं से संबंधित विवरण, व्यष्टिपरक नीतियां और विभिन्न उपायों को लागू किया जाएगा। चुने हुए 9 उद्यम अपने भावी योजनाओं से संबंधित विवरण तैयार करेंगे, कार्य नीति की रूपरेखा तैयार करेंगे और लोक उद्यम विभाग को अपने प्रस्ताव इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की समिति को प्रस्तुत किया जा सके। संशोधन के दौर में यह परिवर्तनगामी कार्य है, लेकिन मूल तस्वीर और भावी योजनाएं यथा शीघ्र तैयार होनी चाहिए। वैश्वीकरण को साकार करने के संदर्भ में विशेष तौर पर आवधिक मॉनीटरिंग, लक्ष्य और नीतियां सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

5. उपर्युक्त माफनीटरिंग तंत्र अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नवरत्न उद्यमों की जानकारी में लाया जाए।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा. सं. लो.उ.वि./11(2)/97–वित्त तारीख 22 जुलाई 1997)